न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)

ओमप्रकाश आदि विरूद्ध कैलाश आदि

प्रकरण का प्रकार 225 RTA क्रमांक 70 सन् 2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
11/7/19	यह अपील 12.7.19 को अपीलार्थी द्वारा 24.5.2017 के उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के रास्ता स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध निर्णय को अपास्त करनें ऐवम् साथ ही एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है. (i) प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम ऐवम धारा 96 सि०प्र०स० प्रस्तुत किये - अपील मियाद शुमार तथा मामले में प्रभावित पक्षकार होने सें सुननें का अधिकार होने की पैरवी की. (ii) आगे कहा कि चक 11 BGD के प.न. 171/395 मु.नं. 38 के किला नं. 1.10, 11, ~~में~~ 20×495 फुट का रास्ता स्वीकृत करने का आदेश 24.5.17 को किया गया जिसकी जानकारी उसे नही हो सकी.	

— लगातार —

1?/7/19

(iii) अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा उक्त भूमि 16.7.2008 को 1/8 हिस्सा खरीद ली गई थी - किन्तु उसका नामांतरण उक्त निर्णय होने तक नही हुवा था

वह आवश्यक पक्षकार था किन्तु उसे पक्षकार नही बनाया

(iv) चूँकि अब उसका नामांतरणकरण हो चुका - इसलिये यह अपील 2 वर्ष की देरी से मियाद मे दूर के प्रा० पत्र व धारा 96 CPC. के प्रा०पत्र के साथ प्रस्तुत की है

(v) हमनें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस व तर्क सुने, प्रा० पत्र व निर्णय का अवलोकन किया

(a) प्रार्थी नें यह अपील 24.5.2017 के उपखण्डाधिकारी रायसिंहनगर के आदेश के विरुद्ध 12.7.2019 को लगभग 2 वर्ष 2 माह पश्चात अनावश्यक विलंब व बिना किसी ठोस कारण व औचित्य के प्रस्तुत की हैं

—लगातार -

(b) अपीलार्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं था ना ही तत्समय वह रास्ते के विवाद में सुनवाई का हक रखता था क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि तत्समय राजस्व रिकार्ड मे भूमि में उसका नाम दर्ज नही था

(c) उसका कथन कि उसने उक्त रास्ते के विवाद के निर्णय वाली भूमि का 1/8 हिस्सा 16.7.2008 को खरीद लिया था व कब्जा ले लिया था - तो यह कैसे कह सकता है कि उसे विवाद का पता नही?

(d) वास्तव मे उसके विक्रय विलेख का कथित रूप से नामांतरण करण इस निर्णय 24.5.17 के पश्चात हुआ जैसा कि प्रार्थी ने पूछने पर कहा।
- इसका तात्पर्य यह है कि निर्णय के समय जमाबन्दी मे उसका नामांतरण नही हुआ इसलिये वह पक्षकार नही हो सकता था नाही तत्समय वह हितबद्ध था - फलत: यह निर्णय हितबद्ध पक्षकारों के बीच हुआ - अत: प्रार्थी निर्णय से प्रभावित नही हुआ।

(e) निर्णय के 2 वर्ष 2 माह पश्चात् अपील करने का औचित्य नही है

फलस्वरूप - उक्त विवेचन से प्रार्थी की अपील मियाद बाहर, मामले मे निर्णय से प्रभावित व हितबद्ध नही होने से - अपील एडमिसन स्तर ही सुनवाई योग्य नही होने से निरस्त योग्य पाईजाती है - निर्णित हो नम्बर से कम हो

(signature)

डा. राकेश कुमार शर्मा
RAA.